शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्रमांक/राशिके/मानिट/2011/1026 भोपाल, दिनांक 28.1.12

प्रति,

जिला परियोजना समन्वयक
जिला शिक्षा केन्द्र
समस्त जिले, मध्यप्रदेश

विषय – वीडियो कान्फ्रेंसिंग दिनांक 24 जनवरी 2012 का कार्यवाही विवरण एवं आगामी विडियो कांफ्रेस दिनांक 14.2.2012 का एजेण्डा बिन्दु।

उपर्युक्त विषयातंर्गत दिनांक 24 जनवरी 2012 को सम्पन्न हुई वीडियो कांफ्रेंसिंग का कार्यवाही विवरण संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। वीडियो कांफ्रेंसिंग में दिये गये निर्देशों का निर्धारित समय सीमा में पालन किया जाना सुनिश्चित करें एवं की गई कार्यवाही से राज्य शिक्षा केन्द्र को अवगत करायें।

आगामी वीडियो कांफ्रेस दिनांक 14.2.2012 का एजेण्डा बिन्दु इस पत्र के साथ संलग्न है, जिसकी अद्यतन जानकारी के साथ उक्त दिनांक को अपरान्ह 2:30 बजे उपस्थित रहना सुनिश्चित करें।

संलग्न – कार्यवाही विवरण एवं एजेण्डा बिन्दु

28.1.12
अपर मिशन संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र

पृ.क्रमांक/राशिके/मानिट/VC/2011/1027 भोपाल, दिनांक 28.1.12

प्रतिलिपि–

1. कलेक्टर, समस्त जिले, म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, समस्त जिले, म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
3. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, समस्त संभाग, म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिले, म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
5. संबंधित कक्ष प्रभारी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
6. समस्त ओ.आई.सी. राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. ICT कक्ष समन्वयक की ओर सर्वशिक्षा अभियान की बेवसाईट एवं एज्यूकेशन पोर्टल पर अपलोड हेतु प्रेषित।

28.1.12
अपर मिशन संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र

जिला परियोजना समन्वयकों की वीडियो कांफ्रेंसिंग दिनांक 24 जनवरी 2012 का कार्यवाही विवरण

आयुक्त एवं अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जिला परियोजना समन्वयकों की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 24 जनवरी 2012 को समीक्षा की गई। निम्न बिन्दुओं पर समीक्षा कर जिला परियोजना समन्वयकों को निर्देश दिये गये–

(1) साईकिल वितरण की समीक्षा

साईकिल वितरण की जिलेवार पोर्टल पर प्रविष्टि की समीक्षा की गई । भिण्ड, कटनी, शाजापुर, विदिशा, जबलपुर, अलीराजपुर, दतिया, राजगढ़, उज्जैन, खरगौन, बुरहानपुर, सीधी, सिंगरौली, ग्वालियर, दमोह, रीवा, अनूपपुर एवं छिन्दवाड़ा जिले की प्रविष्टि 80 प्रतिशत से कम है। आगामी 3 दिवस में शत–प्रतिशत प्रविष्टि करने के निर्देश दिये गये।

(2) वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2012–13 के निर्माण की समीक्षा

- राजगढ़, बालाघाट, भोपाल, सीहोर, अलीराजपुर, अनूपपुर, झाबुआ, श्योपुरकला जिलों द्वारा वर्तमान तक डाइस डाटा एवं AWP Tables जमा नही करने पर अप्रसन्नता प्रकट की गई। संबंधित जिलों के डीपीसी को स्वंय उपस्थित होकर आगामी 2 दिवस में वार्षिक कार्ययोजना तैयार का अप्रेजल करने के निर्देश दिये गये।
- अलीराजपुर जिले द्वारा निर्धारित समय अवधि में डाइस डाटा जमा न करने एवं वार्षिक कार्ययोजना के निर्माण में राज्य शिक्षा केन्द्र से जारी निर्देशों का पालन न करने तथा इस कार्य में रूचि न लिये जाने पर डीपीसी को एक वेतन वृद्धि रोकने का उल्लेख करते हुए नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये।
- दिनांक 27.1.2012 तक जिस जिले द्वारा अप्रेजल नही किया जायेगा उस जिले के डीपीसी के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही – प्रशासन/योजना शाखा RSK एवं संबंधित डीपीसी)

(3) प्रतिभा पर्व के द्वितीय चरण के आयोजन पर चर्चा

- प्रतिभा पर्व के द्वितीय चरण का मूल्यांकन दिनांक 16 एवं 17 फरवरी 2012 को किया जाना है। इस हेतु दिनांक 5 फरवरी 2012 तक समस्त जिला मुख्यालय पर ओ.एम.आर. सीट्स उपलब्ध करवा दी जायेगी। ओ.एम.आर. सीट्स को परीक्षा के पूर्व शाला स्तर तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।
- इन्दौर, मंडला, कटनी एवं सागर जिलों द्वारा ही प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को प्रशिक्षण उपरांत आदेश जारी किये गये है। शेष जिलों को इस माह के अन्त तक कलेक्टर के हस्ताक्षर से आदेश जारी करने के निर्देश दिये गये।
- जिले के 25 प्रतिशत विद्यालयों में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जावेगी। रेण्डमाइजेशन की कार्यवाही 10 फरवरी 2012 तक पूर्ण करने एंव प्रतिभा पर्व के आयोजन हेतु राज्य शिक्षा केन्द्र से जारी चैकलिस्ट के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही – मूल्यांकन शाखा RSK एवं समस्त डीपीसी)

AKV

(4) RTE के अन्तर्गत अशासकीय विद्यालयों में 25 प्रतिशत एडमिशन की समीक्षा

- RTE के अन्तर्गत 25 जनवरी 2012 तक अशासकीय विद्यालयों में एडमिशन हेतु आवेदन पत्र जमा किये जाने है। इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर, सागर, उज्जैन, जबलपुर, रीवा, सतना, रतलाम, खंडवा, बुरहानपुर, कटनी जिलों के जिला परियेाजना समन्वयकों द्वारा वर्तमान तक जमा आवेदन पत्रों की जानकारी दी गई जिसमें से भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, कटनी एवं सागर जिले में कम संख्या में आवेदन प्राप्त होने के कारण व्यापक प्रचार–प्रसार एवं इसकी मॉनीटरिंग करने के निर्देश दिये गये।

- अशासकीय विद्यालयों में लाटरी के माध्यम से एडमिशन दिये जाने का कार्य 31 जनवरी 2012 तक पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

- जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर अशासकीय विद्यालयों के मान्यता के प्रकरण मुरैना जिले में 126, सीधी में 95, शिवपुरी में 75, तथा सिंगरौली में 55 प्रकरण लंबित है। समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को अपने कार्यालय में लंबित प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही – RTE कक्ष, सर्तकता कक्ष RSK एवं संबंधित DEO/DPC)

(5) RBC & NRBC की समीक्षा

- प्रदेश में पूर्व वर्ष में संचालित 462 आवासीय ब्रिजकोर्स में जिलों में कम व्यय हुआ है। छतरपुर में मात्र 5 प्रतिशत, सतना में 12 प्रतिशत तथा अलीराजपुर में 18 प्रतिशत व्यय हुआ हैं। अलीराजपुर जिले में कम व्यय की जानकारी न होने एवं सहायक परियोजना समन्वयकों की नियुक्ति न करने पर डीपीसी को कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये।

- आवासीय एवं गैर आवासीय ब्रिजकोर्स जिला परियेाजना समन्वयकों की प्राथमिकता सूची में रखने तथा समस्त स्वीकृत आवासीय ब्रिजकोर्स का स्वंय निरीक्षण कर बच्चों की शत–प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।

- इस वर्ष स्वीकृत जो आवासीय ब्रिजकोर्स प्रारंभ नही हो सके है, उन्हें इसी माह के अन्त तक प्रारंभ करने के निर्देश दिये गये। इस हेतु जनशिक्षकों के नामजद ड्यूटी लगाने तथा बच्चों की उपस्थिति हेतु सरपंच एवं स्थानीय समुदाय का सहयोग लेने के निर्देश दिये गये।

- नई परिभाषा के मान से जो बच्चे शाला से बाहर चिन्हित किये गये है उन्हें गैर आवासीय ब्रिजकोर्स में दर्ज करने के निर्देश दिये गये। दमोह एवं जबलपुर जिले द्वारा इस वर्ष एक भी गैर आवासीय ब्रिजकोर्स प्रारंभ न करने पर संबंधित डीपीसी की एक वेतन वृद्वि रोकने संबंधी नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये।

- पोर्टल से ऐसी बसाहटों की सूची निकालने के निर्देश दिये गये जिसमें 10 से अधिक बच्चें शाला से बाहर है। इन बसाहटों में शिक्षकों को गैर आवासीय ब्रिजकोर्स का वांलिटियर बनाने में प्राथमिकता देने के निर्देश दिये गये। ऐसी बच्चों को ग्रीष्म अवकाश में अधिक ध्यान देने के निर्देश दिये गये ताकि जुलाई माह में इनकी मैनस्ट्रींमिंग हो सके।

(कार्यवाही – ईएण्डआर कक्ष RSK एवं समस्त डीपीसी)

(6) बजट व्यय की समीक्षा

भिण्ड, छतरपुर, अलीराजपुर, गुना, श्योपुर, विदिशा, सतना, एवं शिवपुरी जिले में व्यय 55 प्रतिशत से कम हुआ है। इन जिलों के डीपीसी द्वारा यह रिव्यू नहीं किया गया है कि किस गतिविधि में कम व्यय हुआ है। समस्त जिला परियोजना समन्वयक को एम.ई.आर. का विश्लेषण कर कम व्यय की समीक्षा करते हुए निर्धारित लक्ष्य अनुसार व्यय करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही – वित्त शाखा RSK एवं समस्त डीपीसी)

(7) साक्षर भारत योजना

योजना में प्रथम चरण में चयनित 10 जिलों में समिति के गठन की कार्यवाही न होने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई। इन जिलों को निर्देशित किया गया है कि वे शीघ्र विकासखंड लोक शिक्षा समिति एवं ग्राम पंचायत लोक शिक्षा समिति का शत–प्रतिशत गठन की कार्यवाही कर बैंक खाता खोलने संबंधी फार्म का परीक्षण कर राज्य शिक्षा केन्द्र को प्रेषित करें।

(कार्यवाही – समन्वयक, साक्षर भारत योजना RSK एवं संबंधित प्रौढ़ शिक्षा अधि./प्रभारी)

(8) निर्माण कार्यो की समीक्षा

- वर्ष 2011–12 में स्वीकृत कार्यो में विदिशा जिले द्वारा 52 में से मात्र 7 कार्य प्रारंभ होने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई। इसके अतिरिक्त शाजापुर में 67, बालाघाट में 104, धार जिले में 60 एवं टीकमगढ़ जिले में 94 निर्माण कार्य अप्रारंभ है जिन्हें तत्काल प्रारंभ कर पोर्टल में प्रविष्टि करने के निर्देश दिये गये।
- वर्ष 2006–07 तक के जिन अपूर्ण निर्माण कार्यो में लागत वृद्वि की राशि प्रदाय की गई है, उन जिलों को पूर्ण कार्यो की जानकारी से राज्य शिक्षा केन्द्र की निर्माण शाखा को अवगत कराने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही – निर्माण कक्ष RSK एवं समस्त डीपीसी)

(9) निरीक्षण

बुरहानुपर एवं नीमच जिले के जिला परियोजना समन्वयक द्वारा दिसम्बर एवं जनवरी माह में किसी भी शाला की मॉनीटरिंग न करने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई है। समस्त जिलों के डीपीसी व जिला शिक्षा अधिकारियों को प्रतिमाह निर्धारित लक्ष्य अनुसार शालाओं की मॉनीटरिंग कर पोर्टल पर प्रविष्टि करने के निर्देश दिये गये।

(10) अन्य निर्देश

- पोर्टल में जनशिक्षा केन्द्रों के साथ प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं की मेंपिंग हेतु जानकारी निर्धारित प्रारूप में ईमेल– pankajrsk@gmail.com पर तत्काल प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।
- जनवरी माह हेतु निर्धारित प्राथमिकताओं को व्यक्तिगत रूप से मॉनीटर कर प्रगति लाने के निर्देश दिये गये।
- NMMS परीक्षा वर्ष 2008–09, 2009–10 तथा 2010–11 में चयनित बच्चों के बैंक खातें जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अभी तक निर्धारित प्रपत्र में नहीं भेजे गये है। जिला परियोजना समन्वयकों को जिला शिक्षा अधिकारी से समन्वय स्थापित कर एक सप्ताह में बैक खातें उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

(11) फरवरी माह की प्राथमिकताऐं

- **प्रतिभा पर्व** का आयोजन ।
- प्रत्येक जिले द्वारा अपने व्यय का घटकवार परीक्षण कर लक्ष्य के अनुसार प्रगति प्रदर्शित करना।
- RTE के तहत 25 प्रतिशत एडमिशन एवं इसका फालोअप सुनिश्चित करना।
- RBC एवं NRBC का शत–प्रतिशत संचालन प्रारंभ एवं इनकी मॉनीटरिंग।
- साक्षर भारत योजना अन्तर्गत प्रथम चरण में शामिल 10 जिलों में विकासखंड एवं ग्राम पंचायत स्तरीय लोक शिक्षा समितियों का शत–प्रतिशत गठन एवं सब्सिडरी खातें खोलने की कार्यवाही पूर्ण करना।
- प्रत्येक जिले द्वारा निर्माण कार्य की समीक्षा कर शत–प्रतिशत स्वीकृत कार्य प्रारंभ करना एवं पूर्व वर्षो के अपूर्ण कार्यो को पूर्ण कराना।
- प्रत्येक जिले द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार शालाओं की मॉनीटरिंग कर पोर्टल पर प्रविष्टि करना।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

28.1.12

अपर मिशन संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र

वीडियो कान्फ्रेंसिंग दिनांक 14 फरवरी 2012 के एजेण्डा बिन्दु

(1) पूर्व वीडियो कान्फ्रेंस दिनांक 24.1.2012 में निर्धारित की गई निम्न प्राथमिकताओं के पालन की समीक्षा–

- प्रतिभा पर्व का आयोजन ।
- प्रत्येक जिले द्वारा अपने व्यय का घटकवार परीक्षण कर लक्ष्य के अनुसार प्रगति प्रदर्शित करना।
- RTE के तहत 25 प्रतिशत एडमिशन एवं इसका फालोअप सुनिश्चित करना।
- RBC एवं NRBC का शत–प्रतिशत संचालन प्रारंभ एवं इनकी मॉनीटरिंग।
- साक्षर भारत योजना अन्तर्गत प्रथम चरण में शामिल 10 जिलों में विकासखंड एवं ग्राम पंचायत स्तरीय लोक शिक्षा समितियों का शत–प्रतिशत गठन एवं सब्सिडरी खातें खोलने की कार्यवाही पूर्ण करना।
- प्रत्येक जिले द्वारा निर्माण कार्य की समीक्षा कर शत–प्रतिशत स्वीकृत कार्य प्रारंभ करना एवं पूर्व वर्षो के अपूर्ण कार्यो को पूर्ण कराना।
- प्रत्येक जिले द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार शालाओं की मॉनीटरिंग कर पोर्टल पर प्रविष्टि करना।

(2) विषयावार शिक्षकों की मेंपिंग की समीक्षा।

(3) जनशिक्षा केन्द्रों की मेंपिंग की समीक्षा।

(4) वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2012–13 के प्रस्तुतीकरण की समीक्षा।

(5) सामान्य निर्धन छात्रवृत्ति विवरण।

(6) केजीबीव्ही की 90 दिवसीय कार्ययोजना की समीक्षा।

नोट – जिला परियोजना समन्वयक उक्त जानकारी दिनांक 10 फरवरी 2012 तक राज्य शिक्षा केन्द्र के संबंधित कक्ष प्रभारियों को अनिवार्यतः उपलब्ध करायें एवं पोर्टल पर अद्यतन प्रविष्टि करवाऐं।